



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-19052026-272671
CG-UP-E-19052026-272671

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2298]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2026/वैशाख 21, 1948

No. 2298]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2026/VAISAKHA 21, 1948

रेल मंत्रालय

(उत्तर मध्य रेलवे)

अधिसूचना

प्रयागराज, 06 अप्रैल, 2026

का.आ. 2389(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-20 (क) के उपधारा-(1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे) की अधिसूचना सं०-4451 का.आ. 4579(अ.) तारीख 19.09.2025 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii), तारीख 08.10.2025 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा-जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा-जिले में आगरा-पलवल सेक्शन में कि०मी० 1418/08-10 पर समपार संख्या 538 के स्थान पर 02 लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य की परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने हेतु आशय की घोशणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा-20 'क' की उपधारा-(4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् अमर उजाला (हिन्दी) में तारीख 17.10.2025 तथा द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) में तारीख 17.10.2025 को प्रकाशित किया गया था ;

और ग्राम-अकबरपुर में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किये गये थे ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा-20 'ड' की उपधारा-(1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा-20 'ड' की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जायेगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-20 'ड' की उपधारा-(2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में आगरा-पलवल सेक्शन में कि०मी० 1418/08-10 पर समपार संख्या 538 के स्थान पर 02 लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य की विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-

क० सं०	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	भूमिका प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्० में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	छाता	अकबरपुर	582 मि०	निजी	कृषि/अकृषक	0.0588	दाताराम, पातीराम, भूदेव, हरद्वारी पुत्रगण मंगीसिंह नि. अकबरपुर
2			587 मि०	निजी	कृषि	0.0960	अजय कुमार, कश्यप, कुमार सिंह, चरन सिंह पुत्रगण भगवान सिंह नि. कौकेरा, सौदान सिंह पुत्र हुकम सिंह नि. कौकेरा
3			728/1	निजी	कृषि/अकृषक	0.0696	ओलम्पस मल्टी ट्रेड प्रा. लि. ए. 43 खानपुर विस्तार देवली रोड नई दिल्ली डायरेक्टर देवेन्द्र पुत्र जसमाल सिंह नि. खानपुर देवली रोड नई दिल्ली
4			731/1	निजी	कृषि/अकृषक	0.0900	शाह एपार्टमेंट एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि. बी. 36 ब्लाक-बी प्रीत बिहार दिल्ली-110092 द्वारा डायरेक्टर ऋषि शाह पुत्र निर्मलकान्त शाह नि.बी.136 ब्लाक बी-प्रीत बिहार दिल्ली-110092, सुरेश शर्मा पुत्र श्यामलाल गौड, धनेश कुमार शर्मा पुत्र लोकचन्द शर्मा, श्रीमती मुकेशलता शर्मा पत्नी धनेश कुमार शर्मा, श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी प्रदीप कुमार वशिष्ठ, श्रीमती गीता शर्मा पत्नी सुधीर कुमार वशिष्ठ
5			732 मि०	निजी	कृषि	0.0888	दान सिंह पुत्र किरोडी नि. कौकेरा, दिलीप सिंह, प्रदीप सिंह पुत्रगण सौदान सिंह नि. कौकेरा, राधेश्याम डेवलपर्स द्वारा पार्टनर दलजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी 155 बी ब्लाक फेस-1 गोलिया डेयरी कुतुब बिहार- साउथ वेस्ट दिल्ली
—	—	—	कुल योग	—	—	0.4032	—

[फा. सं. एनसीआर-जीएसयू शून्य जीएसयू(जीएसयू)/1/2025-ओ/ओसीपीएम/जीएसयू/एजीसी (कम्प्यूटर संख्या 132590)]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(North Central Railway)****NOTIFICATION**

Prayagraj, the 6th April, 2026

S.O. 2389(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (**North Central Railway**), number **4451 S.O. 4579(E) Dated 19-09-2025** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), **dated the 08-10-2025** and issued under the sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and the Railways (Amendment) ACT, 2008 (No. 11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance management and operation of a Special Railway Project namely, **Construction of 02 lane Road Over Bridge in place of LC No.538 on 1418/08-10 k.m. of Agra – Palwal section in District Mathura** in the state of Uttar Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, **“AMAR UJALA” (Hindi), dated the 17-10-2025** and **“THE TIMES OF INDIA” (English), dated the 17-10-2025** under the sub-section (4) of section 20A of the said Act ;

And whereas, **Akbarpur village** no objections were received by the Competent Authority.

Any whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be Acquired with or without structure falling within, for the Special Railway Project namely : **Construction of 02 lane Road Over Bridge in place of LC No.538 on 1418/08-10 k.m. of Agra – Palwal section in District Mathura** in the state of Uttar Pradesh.

Sl. No.	Tehsil	Name of the village	Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Area propose for land Acquisition (In Hect.)	Name of the Land owner/interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chhata	Akbarpur	582 M.	Private	agriculture/ non agriculture	0.0588	Dataram, Patiram, Bhudev, Hardwari sons of Mangi Singh resident of Akbarpur
2			587 M.	Private	Agriculture	0.0960	Ajay Kumar, Kashyap, Kumar Singh, Charan Singh sons of Bhagwan Singh resident of Kaukera, Saudan Singh son of Hukam Singh resident of Kaukera
3			728/1	Private	agriculture/ non agriculture	0.0696	Olympus Multi Trade Pvt. Ltd. A. 43 Khanpur Extension Deoli Road New Delhi Director Devendra S/o Jasmal Singh R/o Khanpur Deoli Road New Delhi
4			731/1	Private	agriculture/ non agriculture	0.0900	Shah Apartments & Developers Pvt. Ltd. B. 36 Block-B Preet Bihar Delhi 110092 c/o Director Rishi Shah S/o Nirmalkant Shah R/o B. 136 Block B-Preet

							Bihar Delhi- 110092, Suresh Sharma son of Shyamlal Gaud, Dhanesh Kumar Sharma son of Lokchand Sharma, Mrs. Mukeshlata Sharma wife of Dhanesh Kumar Sharma, Mrs. Sangeeta Sharma wife of Pradeep Kumar Vashishtha, Mrs. Geeta Sharma wife of Sudhir Kumar Vashishtha.
5			732 M.	Private	Agriculture	0.0888	Dan Singh son of Kirodi resident of Kaukera, Dilip Singh, Pradeep Singh sons of Saudan Singh resident of Kaukera, Radheshyam Developers dwara partner Daljeet Singh son of Darshan Singh resident of 155 B Block Phase-1 Goliya Dairy Qutub Bihar-South West Delhi
-	-	-	Grand Total	-	-	0.4032	-

[F. No. NCR-GSU0GSU(GSU)/1/2025-O/o CPM/GSU/AGC (Computer No. 132590)]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer (Construction)

अधिसूचना

प्रयागराज, 06 अप्रैल, 2026

का.आ. 2390(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-20 (क) के उपधारा-(1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे) की अधिसूचना सं0-4451 का.आ. 4580(अ.) तारीख 19.09.2025 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii), तारीख 08.10.2025 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा-जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा-जिले में आगरा-पलवल सेक्शन में कि0मी0 1444/17-19 पर समपार संख्या 550 के स्थान पर 02 लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य की परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने हेतु आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा-20 'क' की उपधारा-(4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् अमर उजाला (हिन्दी) में तारीख 16.10.2025 तथा द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) में तारीख 17.10.2025 को प्रकाशित किया गया था ;

और ग्राम-कोटवन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किये गये थे ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा-20 'ड' की उपधारा-(1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा-20 'ड' की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जायेगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-20 'ड' की उपधारा-(2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में आगरा-पलवल सेक्शन में कि०मी० 1444/17-19 पर समपार संख्या 550 के स्थान पर 02 लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य की विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-

क्रम सं०	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित क्षेत्रफल (है० में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	छाता	कोटवन	332मि०	निजी	कृषि	0.0600	राजेश कौशिक, प्रदीप कुमार पुत्रगण विशन स्वरूप नि.ग्राम, संजीव गोयल पुत्र बाबूलाल, संजय अग्रवाल पुत्र गोपाल प्रसाद, देशबन्धु पुत्र अमीचन्द, श्रीमती अनुराधा अग्रवाल पत्नी देशबन्धु अग्रवाल, श्रीमती नवलेश पत्नी ईश्वरी प्रसाद, रेवती प्रसाद पुत्र हरजस नि. पलवल, देवी चरण पुत्र सुक्खन सिंह नि. मीनापुर, जे०एम० बी० कॉन्ट्रेक्टर एण्ड अर्थ मूवर्स द्वारा पार्टनर ओमपाल सिंह पुत्र श्री प्रकाश, प्रकाश पुत्र भीम व सुभाष, दशरथ पुत्रगण जीवनलाल, शामकेन स्पर्न्स लि० कंपनी द्वारा डायरेक्टर संजय चतुर्वेदी पुत्र हरदेव चतुर्वेदी व त्रिलोक पचौरी पुत्र गोविन्द शरण पचौरी
2			944मि०	निजी	कृषि	0.0036	श्रीमती मंजू गोयल पत्नी सुभाषचंद नि. पलवल, कमल किशोर वाष्ण्य पुत्र श्रीकृष्ण वाष्ण्य, मनीष कुमार अग्रवाल पुत्र हरीराम अग्रवाल, पंकज विज पुत्र सतीश कुमार नि. कोसीकलां, कैमैस्टर फूड इन्डस्ट्रीज प्रा०लि० निर्देशक प्रतीक कुमार पुत्र रामाधीन प्रसाद नि. श्री गौतम बुद्ध नगर
3			947	निजी	कृषि	0.0720	श्रीमती प्रेमवती पत्नी ब्रजी नि. उमराला
4			1140	निजी	कृषि	0.1071	अमृतलाल, गुरुदत्त, ओमप्रकाश, गौरव पुत्रगण मोहनलाल, श्रीमती रामवती पत्नी मोहनलाल नि. ग्राम
5			1142मि०	निजी	कृषि	0.0762	दिगम्बर, नन्दलाल, लक्खो पुत्रगण राम प्रसाद नि.ग्राम, रोहित अधाना पुत्र रविन्द्र सिंह नि. तिगाव
6			1177	निजी	कृषि	0.0180	श्रीमती राजवती पत्नी खैमी, कुमरपाल, वीरसिंह, देवेन्द्र, यशपाल पुत्रगण खैमी, ओमप्रकाश पुत्र गिर्राज, डालचन्द, होतीलाल ओमप्रकाश, गोविन्दराम पुत्रगण देवकीनन्दन, परसराम पुत्र केशवदेव, हरिशचन्द पुत्र मन्नी, डालचन्द, तेजराम, मुकट बिहारी पुत्रगण श्रीकृष्ण
7			1178मि०	निजी	कृषि	0.1092	तेजराम, मुकट बिहारी पुत्रगण श्रीकृष्ण, हरिशचन्द पुत्र मन्नी नि.ग्राम
8			1193	निजी	कृषि	0.0432	डालचन्द, हेतीलाल ओमप्रकाश, गोविन्दराम पुत्रगण देवकीनन्दन नि. गिडोह

9			1194	निजी	कृषि	0.0138	कुमरपाल, देवन्द्र, यशपाल, वीरसिंह पुत्रगण खैमी, श्रीमती राजवाला पत्नी खैमी नि.ग्राम
—	—	—	कुल योग	—	—	0.5031	—

[फा. सं. एनसीआर-जीएसयू शून्य जीएसयू(जीएसयू)/1/2025-ओ/ओसीपीएम/जीएसयू/एजीसी (कम्प्यूटर संख्या 132590)]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

NOTIFICATION

Prayagraj, the 6th April, 2026

S.O. 2390(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (**North Central Railway**), number **4451 S.O. 4580(E) Dated 19-09-2025** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), **dated the 08-10-2025** and issued under the sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and the Railways (Amendment) ACT, 2008 (No. 11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance management and operation of a Special Railway Project namely, **Construction of 02 lane Road Over Bridge in place of LC No.550 on 1444/17-19 k.m. of Agra – Palwal section in District Mathura** in the state of Uttar Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, **“AMAR UJALA” (Hindi), dated the 16-10-2025** and **“THE TIMES OF INDIA” (English), dated the 17-10-2025** under the sub-section (4) of section 20A of the said Act ;

And whereas, **Kotawan village** no objections were received by the Competent Authority.

Any whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be Acquired with or without structure falling within, for the Special Railway Project namely: **Construction of 02 lane Road Over Bridge in place of LC No.550 on 1444/17-19 k.m. of Agra – Palwal section in District Mathura** in the state of Uttar Pradesh.

Sl. No.	Tehsil	Name of the village	Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Area propose for land Acquisition (In Hect.)	Name of the Land owner/interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chhata	Kotawan	332 M.	Private	Agriculture	0.0600	Rajesh Kaushik, Pradeep Kumar sons of Vishan Swaroop resident of village, Sanjeev Goyal son of Babulal, Sanjay Agarwal son of Gopal Prasad, Deshbandhu son of Amichand, Mrs. Anuradha Agarwal wife of Deshbandhu Agarwal, Mrs. Navlesh wife of Ishwari Prasad, Revati Prasad son of Harjas resident of Palwal, Devi Charan son of Sukhan Singh resident of Meenapur, JMB Contractor and Earth Movers partner Ompal Singh son of Shri Prakash, Prakash son of Bhim and

							Subhash, Dasharatha sons of Jeevanlal, Shamken Spares Ltd. company director Sanjay Chaturvedi son of Hardev Chaturvedi, Trilok Pachauri, son of Govind Sharan Pachauri
2	Chhata	Kotawan	944 M.	Private	Agriculture	0.0036	Mrs. Manju Goyal, wife of Subhash Chand, resident of Palwal, Kamal Kishore Varshneya, son of Shri Krishna Varshneya, Manish Kumar Agarwal, son of Hariram Agarwal, Pankaj Vij, son of Satish Kumar, resident of Kosikalan, kaimester Food Industries Pvt. Ltd. Director Prateek Kumar, son of Ramadhin Prasad, resident of Shri Gautam Buddha Nagar
3			947	Private	Agriculture	0.0720	Smt. Premwati wife of Brgy. Resident of Umrula
4			1140	Private	Agriculture	0.1071	Amritlal, Gurudutt, Omprakash, Gaurav, sons Mohanlal, Mrs. Ramvati, wife of Mohanlal resident of Gram
5			1142 M.	Private	Agriculture	0.0762	Digambar, Nandlal, Lakho sons of Ram Prasad resident of Gram, Rohit Adhana son of Ravindra Singh resident of Tigaon
6			1177	Private	Agriculture	0.0180	Mrs. Rajwati wife Khaimi, Kumarpal, Veer Singh, Devendra, Yashpal sons Khaimi, Omprakash son Girraj, Dalchand, Hotilal Omprakash, Govindram son of Devkinandan, Parasram son of Keshavdev, Harishchand son of Manny, Dalchand, Tejram, Mukat Bihari son of Shri Krishna
7			1178 M.	Private	Agriculture	0.1092	Tejram, Mukat Bihari son of Shri Krishna, Harishchand son of Manni resident of Gram
8			1193	Private	Agriculture	0.0432	Dalchand, Hetilal Omprakash, Govindram sons Devkinandan resident of Gidoh
9			1194	Private	Agriculture	0.0138	Kumarpal, Devendra, Yashpal, Veersingh sons of Khaimi, Mrs. Rajwala wife of Khaimi resident of village
-	-	-	Grand Total	-	-	0.5031	-

[F. No. NCR-GSU0GSU(GSU)/1/2025-O/o CPM/GSU/AGC (Computer No. 132590)]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer (Construction)